प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक नवम्बर 12, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 226 वाहनों का चालान किया गया तथा 01 वाहन सीज किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों को धारा 110 जी जा0फौ0 में 10 व्यक्ति व पुलिस एक्ट के धारा 34 में 756 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

***थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही**-*अभियुक्ता पार्वती पत्नी मोहन केवट निवासी बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 304/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***थाना परसामिलक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही**-*अभियुक्त ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र मोती निवासी बउनी थाना परसामलिक जनपद महराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 131/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-अभियुक्तगण 1. अजीत पुत्र किस्मत निवासी खजुरिया थाना खजुरिया नेपाल राष्ट्र 2. रामअवध पुत्र इन्द्रजीत निवासी परसहवा थाना विखरी नेपाल राष्ट्र 3. जितेन्द्र पुत्र बगेदू निवासी

गिरचिहवा थाना मोतीपुर नेपाल राष्ट्र के कब्जे से 03 बोरी डी0ए0पी0 04 बोरी यूरिया व 03 अदद साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

***थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही**-*अभियुक्तगण 1. रेतू पुत्र शेखर 2. सदाशिव पुत्र वीरेन्द्र 3. रघुनाथ पुत्र हरेन्द्र निवासीगण पिपरा थाना बरगदवा जनपद महराजगंज के कब्जे से 04 बोरी यूरिया 02 बोरी डी0ए0पी0 व 03 अदद साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 10 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

***थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही**-*अभियुक्त नाम पता अज्ञात के कब्जे से 13 बोरी गेहूँ बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 11/12.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 36 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।